

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
DRUGS CONTROL ORGANISATION, ROOM NO. 305,
SWASTHYA BHAWAN, TILAK MARG, JAIPUR.

E-mail : drugcontrolraj@gmail.com
Phone No. 0141-2221760

No. DC-1/ A-3/2017/ 306

Date: 2/6/17

समस्त सहायक औषधि नियंत्रक, राजस्थान।
समस्त औषधि नियंत्रण अधिकारी, राजस्थान।

अलर्ट नोटिस

विषय :- सर्व सेम्पल की जांच में औषधियों के अवमानक कोटि की पाये जाने पर आवश्यक कार्यवाही बाबत।

उपरोक्त विषय में लेख है कि राजकीय विश्लेषक, औषधि परीक्षण प्रयोगशाला, जयपुर के द्वारा निम्नांकित औषधियों के सर्व सेम्पल जांच/परीक्षण में अवमानक कोटि के घोषित किये गये हैं जिनका विवरण निम्नानुसार अंकित है :-

S.No.	Name of Drugs	B.No.	Name of Manufacturer	Reasons	Test report No. & Date
1-	Cefpodoxime Dispersible Tablets 200mg (Cepixil-200)	T-160933	M/s. Pharma Linkers, Plot No. 53, S.G. Ind. Estate, Lakeshwari, Bhagwanpur, Roorkee-247667 UK	Does not show the presence of Cefpodoxime. (Claimed 200mg: Found NIL)	No. 486/2017-18 /DTL/2017 dated 31-5-17
2-	Cefixime Tablets IP (Jonfix-200)	T-17131	M/s. Dermasafe Pharmaceuticals 106, Haldwani Road, Rudrapur (U.K.)263153	Does not show the presence of Cefixime. (Claimed 200mg Found NIL)	No. 485/2017-18 /DTL/2017 dated 31-5-17
3-	Cefixime Dispersible Tablets 200mg (Medcef-200)	T-170201	M/s. Vizmed Pharmaceuticals Plot No. 92, S.G. Industrial Estate, Bhagwanpur, Roorkee-247667 UK	Does not show the presence of Cefixime. (Claimed 200mg Found NIL)	No. 483/2017-18 /DTL/2017 dated 31-5-17
4-	Cefixime Tablets IP (Mixime-200)	T-160346	M/s. Vizmed Pharmaceuticals Pvt. Ltd., K. No. 227, Sikandarpur Bhaiswal, Bhagwanpur, Roorkee. UK	Content of Anhydrous Cefixime claimed 200mg Found 4.37% of claim	No. 484/2017-18 /DTL/2017 dated 31-5-17

अतः आप पूरे राज्य में अपने-अपने क्षेत्र में पूर्ण निगरानी/सतर्कता बरतते हुये औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं नियम 1945 के प्रावधानों के अनुरूप शीघ्र आवश्यक कार्यवाही कर इस कम्पनी के इसी दवा के तथा कम्पनी की अन्य दवाओं के नमूने नियमानुसार लेकर जांच हेतु भेजें।

औषधि नियंत्रक,
राजस्थान, जयपुर।


क०प०न०३०

No. DC-1/ A-3/2017/

Date:

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. औषधि महानियंत्रक (भारत), सी०डी०एस०सी०ओ०, एफ०डी०ए० भवन, सी०एच०बी० केम्पस, कोटला रोड, नई दिल्ली।
2. उप औषधि नियंत्रक(भारत), सी०डी०एस०सी०ओ० (नार्थ जोन), कमला नेहरू नगर, गाजियाबाद
3. निजी सचिव, चिकित्सा मंत्री महोदय ।
4. मा० प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज० जयपुर।
5. कार्यकारी निदेशक, आर०एम०एस०सी०एल०, मुख्यालय।
6. निजी सचिव, मिशन डायरेक्टर, एन०आर०एच०एम०, राज० जयपुर।
7. निदेशक (जन स्वास्थ्य/प०क०/आईईसी/एडस/एम०एस०यू०/ई०एस०आई०), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राज० जयपुर।
8. निदेशक, जन सम्पर्क निदेशालय, राज० जयपुर।
9. समस्त अधीक्षक, सामुहिक चिकित्सालय समूह, राजस्थान।
10. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी राजस्थान।
11. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
12. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त सभी अधिकारियों को आदेश की प्रति e-mail से भी भिजवावें तथा Drugs Control में विभागीय Website पर upload करने का श्रम करें।
13. रक्षित पत्रावली।


औषधि नियंत्रक,
राजस्थान, जयपुर।